*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/बैठक–04–02/2017 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– **छठ पूजा, 2019 एवं चैती छठ पूजा, 2019 के अवसर पर पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न घाटों पर जिला प्रशासन, पटना द्वारा श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराये गये विभिन्न सुविधाओं के लिए कुल ₹234.58393 लाख (दो करोड़ चौतीस लाख अंठावन हजार तीन सौ तिरानवे रु०) मात्र की वित्तीय वर्ष 2019–20 में सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक– 495, दिनांक– 14.02.2020 द्वारा छठ पूजा, 2019 एवं चैती छठ, 2019 के अवसर पर पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराये गये विभिन्न सुविधाओं पर हुए कुल व्यय की राशि ₹234.58393 लाख (दो करोड़ चौतीस लाख अंठावन हजार तीन सौ तिरानवे रु०) मात्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त वर्णित स्थिति एवं जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में छठ पूजा, 2019 एवं चैती छठ, 2019 के अवसर पर पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराए गए विभिन्न सुविधाओं हेतु कुल ₹234.58393 लाख (दो करोड़ चौतीस लाख अंठावन हजार तीन सौ तिरानवे रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में नागरिक सुविधा मद से निम्नवत् स्वीकृत की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	कार्य	अधियाचित राशि	स्वीकृत राशि
1	*2*	*3*	*4*
1.	कार्तिक छठ पर्व, 2019 के अवसर पर कराये गये विभिन्न कार्य।	216.31432	216.31432
2.	चैती छठ पर्व, 2019 के अवसर पर कराये गये विभिन्न कार्य।	18.26961	18.26961
	कुल योग	**234.58393**	**234.58393**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹234.58393 लाख (दो करोड़ चौतीस लाख अंठावन हजार तीन सौ तिरानवे रु०) मात्र।

3. उक्त स्वीकृत राशि ₹234.58393 लाख (दो करोड़ चौतीस लाख अंठावन हजार तीन सौ तिरानवे रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन ~~पदाधिकारी,~~ प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन**

पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019, पत्रांक– 732, दिनांक– 31.07.2019 एवं पत्रांक– 733, दिनांक– 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर निगम, पटना के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। तदोपरांत नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना द्वारा राशि की निकासी कर जिला पदाधिकारी, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।*** **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

4. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

6. स्वीकृत कुल राशि ₹234.58393 लाख (दो करोड़ चौतीस लाख अंठावन हजार तीन सौ तिरानवे रु०) मात्र की निकासी उपबंधित मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्यशीर्ष– 01–राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष– 0109–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें–सहायक अनुदान विपत्र कोड– **48-2217011910109,** विषय शीर्ष 0109.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 2ब०/बैठक–04–02/2017 के पृष्ठ सं०–....88..../टि० पर दिनांक–28/02/2020 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–....89..../टि० पर दिनांक– 28/02/2020 को प्राप्त है।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/बैठक–04–02/2017 235 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–03/03/2020

प्रतिलिपिः– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, बिहार/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०–मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.03.2020
सरकार के विशेष सचिव।